


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान

शक्तिधर दयाल बनाम भद्रेश

किस्म मुकदमा 21121 - 223 मि.नं. 2023/100 सन

अभिभाषक अपीलान्त श्री शोभिता शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट श्री विद्या प्रकाश शर्मा
1803

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
21.5.24	<p>पत्रावली केस इसी अपीलान्त एवं अक्रि० अपीलान्त को रूक कर तीन बार आपसे सत्रवाही गयी, फिर भी उत्तरी कोर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्त पूर्व में भी बरत देहू कि 15.4.24 एवं दिनांक 13.5.24 को अनुपस्थित रहे हैं। पत्रावली अक्रि० अपीलान्त की पवार बरत देहू और ठार ही अक्रि० अपीलान्त एवं अक्रि० अपीलान्त के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अध्यात्मिकी एवं अडम फेरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौल शुभा होअर बाद तमील तहमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	

Presented by,

Advocate Shobit Sharma

Reader Examine & Report



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18/4/2023

रामेश्वर दयाल, आत्मज स्व. देवीलाल जी, उम्र 86 वर्ष, निवासी
2-द-5 दादाबाड़ी, कोटा

बनाम

1. महेश, आत्मज मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 4-एफ-11, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा
2. शम्भू दयाल, आत्मज मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 4-एफ-11, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा
3. सुरेश, आत्मज मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगर पालिका, बारां
4. कस्तूरीबाई, बेवा मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 4-एफ-11, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा (मृतक)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

नोट:- respondent क्रम 4, respondent 1 लगायत 3 की माता है जिनका देहांत दौराने वाद हो चुका है एवं उनके वारिसान पहले से ही दावे में respondents no. 1 लगायत 3 के रूप में पक्षकार हैं इसलिये respondents 1 लगायत 3 द्वारा respondent no.4 का नाम दावे से डिलीट नहीं करवाया गया है इसलिए respondent no.4 की तलवी कराया जाना आवश्यक नहीं है।

(Handwritten signature)